उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
अधिकारी:–श्रीमति टीना डाबी, आई.ए.एस.
म्बर:–53/2019 प्रार्थना पत्र
ारायण पिता मूलचन्द्र काबरा, उम्र बालिग निवासी नाड़ी मोहल्ला, हाल 1–बी–36, पुराना
बोर्ड, शास्त्रीनगर–भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान) ——–प्रार्थी

बनाम

दू पिता देवा तेली, उम्र बालिग निवासी बगताबाबा रोड़, दादाबाड़ी–भीलवाड़ा तहसील भीलवाड़ा
ुरा पिता देवा तेली, उम्र बालिग निवासी बगताबाबा रोड़, दादाबाड़ी–भीलवाड़ा तह0 भीलवाड़ा
लू पिता देवा तेली, उम्र बालिग निवासी बगताबाबा रोड़, दादाबाड़ी–भीलवाड़ा तहसील भीलवाड़ा
लू पिता भूरा तेली, उम्र बालिग निवासी बगताबाबा रोड़, दादाबाड़ी–भीलवाड़ा तहसील भीलवाड़ा
सरोज पत्नि महेश भण्डारी, उम्र बालिग निवासी नाड़ी मोहल्ला–भीलवाड़ा तहसील भीलवाड़ा
थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
———विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

:: नि र्ण य :: दिनांक:–11.3.2019

वकील प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू–राजस्व म 1956 के तहत विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम ईरास नई पटवार ुवाणा तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी नम्बर 3237/2 रकबा 1 बीघा 07 3240/2 रकबा 6 बिस्वा, 3241 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा कुल किता 3 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा र्थी के नाम दर्ज रेकार्ड है। विपक्षीगण विवादित आराजियात के पड़ौसी हैं। प्रार्थी के खाते व ाश्त की आराजियात के सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न ते हैं। इस कारण प्रार्थी अपने खाते एवं कब्जे काश्त की आराजियात की सीमा जानकारी के थरगढ़ी कराना चाहते हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर पत्थरगढी किये ा आदेश प्रदान फरमावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 5.2.2019 को पंजीबद्व किया जाकर जरिये सम्मन ाण को तलब किया गया। विपक्षीगण संख्या 1 से 6 के सम्मन बाद तामिल प्राप्त हुये। जिसे पत्रावली किये गये । विपक्षीगण संख्या 1 से 6 उपस्थित नहीं। विपक्षी संख्या 1 से 6 को ही मर्तबा विधिवत् आवाजे दिलाई जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के कारण दिनांक 27. 9 को एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश पारित किया गया।

वकील प्रार्थी ने एक तरफा बहस करनी चाही। वकील प्रार्थी की एक तरफा सुनी गयी । बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थी को अपने खाते व कब्जे की आराजियात की सीमा जानकारी नहीं होने के कारण फसल काश्त करते समय, फसल काटते सीमा बाबत विपक्षीगण के मध्य विवाद होता रहता हैं। इस कारण प्रार्थी अपने खाते एवं कब्जे की आराजियात की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी करवाना चाहता हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र को सिद्व कराने में रहने के कारण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझती हूँ, अतः

:: आ दे श ::

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111–128 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के
न स्वीकार किया जाकर ग्राम ईरास नई पटवार हल्का सुवाणा तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित
आराजी नम्बर 3237/2 रकबा 1 बीघा 07 बिस्वा, 3240/2 रकबा 6 बिस्वा, 3241 रकबा 1 बीघा
बिस्वा कुल किता 3 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा भूमि की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी किये जाने
आदेश दिया जाता हैं। पत्थरगढ़ी किये जाने के लिये भू–अभिलेख निरीक्षक, सुवाणा को
/–रूपये (तीन सौ पचास रूपये) कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमिश्नर
न प्रार्थी मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की मौजूदगी/उपस्थिति में
रगढ़ी की जावें। पत्थरगढ़ी किये जाने के लिये तहसीलदार, भीलवाड़ा को पालना हेतु लिखा जावें।

(टीना डाबी)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी,
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 11.3.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाय

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner